

कार्यालय, शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0, प्रयागराज

पत्रांक:सामान्य(1)बेसिक/ 878 /2025-26 दिनांक- 03.11.2025

अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 में (संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण) अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियमावली-1978 (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 का संशोधित परीक्षाफल दिनांक 06.09.2022 को सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा घोषित किया गया। चयन परीक्षा वर्ष-2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियमावली-1978 (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 एवं शासनादेश संख्या-649/अडसठ-3-2025 दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के अनुपालन में चयन/नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं:-

1. आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र(एन0आई0सी0) की वेबसाइट पर दिनांक-15.11.2025 से उपलब्ध रहेगा।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर (Capital Letter) में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ अंक पद्धति में भरी जायेगी। आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टियाँ स्पेशल करेक्टर (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~) में अंकित नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 के आवेदन में अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या भरने पर ओ0टी0पी0 (OTP) प्राप्त होगा जिसे अंकित करने के बाद आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 में आपके आवेदन में भरी गई प्रविष्टियाँ स्वतः लिया जायेगा।

प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 का रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करने पर यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 (OTP) प्राप्त न होने की दशा में मोबाइल नम्बर क्रियाशील कराया जाये। यदि ओ0टी0पी0 (OTP) क्रियाशील होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 के आवेदन की छायाप्रति/पहचान पत्र/कक्षा 10 का प्रमाण पत्र के साथ तीनों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए ई0मेल आई0डी0 juniorhighschoolaidedbharti21@gmail.com पर आवेदन करने की अन्तिम तिथि से एक दिन पहले तक करना अनिवार्य होगा। जिससे आप द्वारा आवेदन पत्र भरा जा सके।

3. आवेदन फार्म फाइनल सबमिट करने के पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जांच भली-भांति करने के पश्चात् ही आवेदन फाइनल सबमिट करें।
4. अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021(संशोधित परीक्षा परीणाम दिनांक 06.09.2022) उत्तीर्ण की गई है को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक-06.09.2022 द्वारा उत्तीर्ण की गई है, को पृथक-पृथक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।

5. अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकते हैं।
6. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए, सबमिट बटन को क्लिक करते हुए, आवेदन को फाइनल सेव करेंगे।
7. फाइनल सेव करने के उपरान्त अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित कर मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी की सहायता से आवेदन का प्रिंट लेना होगा जिसे अभिलेखों/प्रमाण पत्र के परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। (परिशिष्ट-1)
9. अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, वहीं मान्य होंगे जो चयन भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में ऑनलाइन आवेदन में दिये गये थे, को आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा।

10-आवेदन हेतु पात्रता:-

(i)- **शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता**- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं प्रशिक्षण अर्हता नियम-4 के अनुसार होगी।

(ii)- **आयु**- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 यथा संशोधित 04 दिसम्बर 2019 में उल्लिखित नियम-8 के अनुसार होगी।

(iii) **राष्ट्रीयता**- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

(iv) **निवास**- ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 के विज्ञापन की तिथि 01.03.2021 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 05 वर्ष से स्थायी निवासी रहे हों।

(v) **आरक्षण**- उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश/विभागीय आदेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगा।

(vi) **वैवाहिक स्थिति**- चयन/नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों।

(vii) **चरित्र**- ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित/पदच्युत किये गये हों, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

11- रिक्तियों का विवरण:-

(क)- प्रत्येक अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एकल इकाई है।

(ख)- प्रधानाध्यापक के विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।
(परिशिष्ट-2)।

प्रधानाध्यापक का पद विद्यालय में एकल होने के कारण अनारक्षित श्रेणी का होगा। प्रधानाध्यापक पद हेतु अनुभव प्रमाण पत्र सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, वेबसाइट पर संलग्न प्रारूप में होना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट-3)।

(ग)- विद्यालय एकल इकाई होने के कारण सहायक अध्यापक पद पर आरक्षण विद्यालयवार लागू होगा।

(घ)- सहायक अध्यापक के विद्यालयवार/ विषयवार/ श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।(परिशिष्ट-4)।

12- चयन प्रक्रिया- अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 (सातवां संशोधन) नियमावली-2019 में विहित प्राविधान नियम-10 के अनुसार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प समय सारिणी के अनुसार लिया जायेगा।

13- सहायक अध्यापक हेतु आरक्षित/विशेष आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 में आयुसीमा में छूट प्राप्त करते हुए जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 के संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण है, वे अनारक्षित श्रेणी के पदों हेतु अर्ह नहीं होंगे।

14- उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल(जू0हा0स्कूल)(अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियमावली-1978(सातवां संशोधन) नियमावली-2019 के परिशिष्ट-10(1)(ग) के अनुसार भारांक/गुणांक एवं रिक्तियों के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जायेगी।

(i)- प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों का भारांक/गुणांक के आधार पर रिक्त के अनुसार चयन सूची तैयार की जायेगी।

(ii)- सहायक अध्यापक पद हेतु सभी विषयों-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन/विषय की पृथक-पृथक श्रेणीवार/विषयवार चयन सूची रिक्त के अनुसार तैयार की जायेगी।

(iii)-सहायक अध्यापक के पद पर विषयवार/श्रेणीवार पहले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार की जायेगी।

(iv)- अनारक्षित श्रेणी के अंतिम अभ्यर्थी(विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को छोड़कर) के गुणांक/भारांक के बाद आरक्षित श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी।

15-

(i)- अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणांक/भारांक का निर्धारण एन0आई0सी0 द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के द्वारा निम्नवत् किया जायेगा:-

क्रमांक	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाई स्कूल	परीक्षा में अंको का प्रतिशत x 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में अंको का प्रतिशत x 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में अंको का प्रतिशत x 10/100
4	प्रशिक्षण अर्हता	परीक्षा में अंको का प्रतिशत x 10/100
5	भर्ती परीक्षा	परीक्षा में अंको का प्रतिशत x 60/100

(ii)—यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के गुणवत्ता अंक समान हों तो जन्मतिथि में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(iii)—यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और जन्मतिथि एक समान हो तब अभ्यर्थियों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किये जायेंगे।

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश

अशासकीय सहायता प्राप्त जू0हा0स्कूलों में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 में संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक-06.09.2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु समय सारिणी:-

क्र0सं0	कार्यक्रम	दिनांक
01	ऑनलाईन आवेदन-पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना।	15.11.2025 से 05.12.2025 तक
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से चयन सूची का प्रकाशन।	23.12.2025
03	प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाना।	24.12.2025 से 30.12.2025 तक
04	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची प्रेषित करना एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जाना।	10.01.2026 तक
05	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण कराया जाना।	11.01.2026 से 15.01.2026 तक
06	संस्था प्रबन्धाधिकरण को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रबन्धाधिकरण को निर्देश एवं अर्ह अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित किया जाना।	20.01.2026 तक
07	संस्था प्रबन्धाधिकरण/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करना।	30.01.2026
08	अभ्यर्थियों को विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाना।	15.02.2026
09	विद्यालयों में नियुक्त अभ्यर्थियों के समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना।	विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि से एक माह के भीतर